भारत भारत भारत भारत INDIA
पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

(86)

न्यायालय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, शिविर भोपाल

प्रकरण क्रमांक/निगरानी/...........

R-782-PBR/12

अजय राजन आत्मज श्री जी. सी. सक्सेना
आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी – बी–3,
कम्फर्ट होम, फेस–3, गुरूनानकपुरा,
रायसेन रोड भोपाल .... आवेदक

विरूद्ध

01. **श्रीमती रईसा बेगम उर्फ रईसा बी**
पत्नि स्व. श्री सईद मोहम्मद ख़ान उर्फ लाल मियॉ
02. **रिज़वान मियॉ**
पुत्र स्व. श्री सईद मोहम्मद ख़ान
03. **फरहान मियॉ**
पुत्र स्व. श्री सईद मोहम्मद ख़ान
04. मन्नान मियॉ
पुत्र स्व. श्री सईद मोहम्मद ख़ान
सभी निवासीगण – 44, बड़वाले मस्जिद,
जहांगीराबाद, भोपाल
05. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, भोपाल
06. **श्रीमती सईदुल निशा उर्फ परी बेगम**
पत्नि श्री गुलाम हबीब,
निवासी - 56, चौकी तलैया, भोपाल ..... अनावेदकगण

दिवाकर दीक्षित (अ.)
ग्वालियर
31-3-12

श्री दिवाकर दीक्षित, अभि.
द्वारा आज दि. 31-3-12 को
प्रस्तुत
31-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.03.2012, प्रकरण क्र. 31/अ-6/11–12, न्यायालय श्री तहसीलदार महोदय, मुकुल गुप्ता, गोविन्दपुरा वृत्त, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, जो तहसीलदार, नजूल ने फौती नामान्तरण हताईखेड़ा, कोकता में श्रीमती रईसा बी के आवेदन पर पारित

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि स्व. मुईस मोहम्मद ख़ान के नाम ग्राम हताईखेड़ा एवं कोकता में खसरा नं. 65/1, 62/2, 66/2/3, रक़बा 5.88 एकड़, खसरा नं. 67/1, रक़बा 1.17 एकड़ कुल रक़बा 7.05 एकड़, ग्राम हताईखेड़ा एवं ग्राम कोकता में खसरा क्र. 53/36, रक़बा . 15 एकड़ और 67/43, रक़बा 6.88 एकड़, कुल रक़बा 18.23 एकड़, दोनों ग्रामों में कुल भूमि 25.28 एकड़ है।

02. यह कि, स्व. मुईस मोहम्मद ख़ान ने अपने आराजी ख़सरा नं. 65/1, 62/2, 66/2/3, रक़बा 5.88 एकड़, खसरा नं. 67/1, रक़बा 1.17 एकड़, कुल रक़बा 7.05 एकड़ का कब्ज़ा आवेदक को दे दिया तथा एक वसीयतनामा भी आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया एवं मुख्तारनामा देकर उक्त भूमि पर कब्ज़ा करा दिया और इस पुष्टि में उन्होंने एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया।

तहसीलदार ग्वालियर भी ... कार्यालय ... 1 ... 240 ...

निरंतर.......2.

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 782-पीबीआर/2012 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	